भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2068
दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी और सरकारी अस्पतालों की मूलभूत अवसरचना

+2068. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा मूलभूत अवसंरचना के प्रावधान के लिए राज्य-वार क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों के समक्ष आ रही प्रमुख कमियों/चुनौतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों/सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में अवसंरचना में सुधार करने और कमियों को दूर करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत चार वर्षों के दौरान राज्य/जिला-वार और अस्पताल-वार कितने अस्पतालों का उन्नयन/आधुनिकीकरण किया गया है और इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि प्रदान और उपयोग की गई है; और

(घ) सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (घ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और आधारभूत अवसंरचना में सुधार करने और उसकी उपलब्धता के लिए इसके कार्यान्वयन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी और इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार राज्य की अधीन है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी दी जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आईपीएचएस-आधारित मूल्यांकन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर सहायता और सहयोग प्रदान करता है।

महाराष्ट्र सहित देश भर के सरकारी अस्पतालों की अवसंरचना के लिए निर्धारित मानदंड भारत सरकार के आईपीएचएस 2022 दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। अवसंरचना के लिए निर्धारित मानदंडों का विवरण https://nhsrcindia.org/IPHS2022. लिंक पर उपलब्ध है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों/जन स्वास्थ्य केंद्रों में अवसंरचनात्मक सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय जन स्वास्थ्य मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों में सेवाओं, अवसंरचना, मानव संसाधन, निदान, उपकरण, दवाइयों आदि के लिए मानदंड शामिल हैं। आईपीएचएस का समग्र उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है जो समुदाय की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो।

जन स्वास्थ्य सुविधाओं के मूल्यांकन की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ओपन डाटा किट (ओडीके) विकसित किया है, जो एंड्रॉइड-आधारित एप्लिकेशन है। यह एप्लिकेशन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का आधारभूत मूल्यांकन करने, कमियों की पहचान करने और सभी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और वांछित मानकों की दिशा में काम करने के लिए अनुपालन प्राप्त करके समय पर सुधारात्मक उपायों को लागू करने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, 25 अक्टूबर, 2021 को 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) आरंभ किया गया, जिसे वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों में लागू किया जाना है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए जन स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। महाराष्ट्र राज्य में पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्र प्रायोजित घटकों को 1055.28 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, निशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की। यह पहल जिला अस्पताल और निचले स्तर के सुविधा केंद्रों स्वास्थ्य सेवा चाहने वालों को निशुल्क औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयासों का पूरक है।

आईपीएचएस के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सुविधा केंद्र-वार आवश्यक औषधि सूची (ईएमएल) की भी सिफारिश करती है:

- एएएम- एसएचसी- 106
- एएएम- पीएचसी- 172
- जन स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)- 300
- उप जिला अस्पताल (एसडीएच) – 318
- जिला अस्पताल (डीएच)-381

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक अवसंरचना को सुदृढ़ करने संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी और व्यय तथा वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत जारी की गई केंद्रीय राशि का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2068 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने संबंधी व्यय

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	159.00	2.52	2.00	3.70	5.00	-
2	आंध्र प्रदेश	2,583.25	2,682.25	633.06	315.88	875.72	52.56
3	अरुणाचल प्रदेश	5,674.45	4,386.79	4,737.52	6,568.85	2,069.80	5,382.51
4	असम	23,425.82	15,546.48	35,925.05	9,521.74	10,500.34	9,024.95
5	बिहार	37,842.57	13,032.84	99,387.56	36,055.09	52,900.70	45,692.16
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	15,047.86	4,106.67	7,789.77	6,970.37	7,789.77	6,682.68
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	2.88	-	2.88	-	2.88	-
9	दिल्ली	681.80	172.50	1,399.96	2,285.11	1,399.96	2,255.23
10	गोवा	125.95	54.58	260.26	134.17	225.34	197.82
11	गुजरात	878.22	564.05	5,028.85	253.57	353.08	642.44
12	हरियाणा	12,804.52	755.18	8,555.93	8,937.08	335.90	303.64
13	हिमाचल प्रदेश	3,547.39	3,149.75	-	-	600.00	-
14	जम्मू और कश्मीर	3,433.33	579.19	1,599.96	498.41	3,375.46	2,905.67
15	झारखंड	2,494.78	2,389.54	9,373.36	3,713.19	8,850.36	6,599.20
16	कर्नाटक	15,324.05	15,833.87	7,613.96	5,158.75	4,789.20	6,307.16
17	केरल	5,897.00	4,539.01	12,709.03	5,319.77	18,104.34	3,856.56
18	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	25,482.92	14,190.80	19,866.87	22,572.53	42,679.70	25,574.97
20	महाराष्ट्र	55,881.84	21,942.42	61,535.48	24,932.60	60,134.13	33,948.75
21	मणिपुर	2,999.42	683.74	1,796.82	44.62	16.41	14.77

22	मेघालय	1,656.32	262.55	1,096.27	864.35	69.49	886.06
23	मिजोरम	35.40	44.42	36.75	14.37	33.79	25.42
24	नागालैंड	1,074.84	1,370.75	3,073.78	1,138.36	2,132.23	1,375.81
25	ओडिशा	32,846.14	35,621.88	62,574.68	84,110.12	48,034.45	58,810.00
26	पुदुचेरी	26.16	1.17	6.36	8.54	6.48	2.78
27	पंजाब	5,201.90	3,759.31	990.10	40.87	190.60	190.60
28	राजस्थान	85,616.83	14,112.39	57,577.61	28,782.14	57,736.11	46,950.24
29	सिक्किम	391.84	237.11	52.51	6.44	64.37	32.18
30	तमिलनाडु	26,196.13	27,738.27	56,033.70	41,677.06	79,790.36	45,563.89
31	तेलंगाना	7,640.83	12,909.19	11,534.19	15,478.29	41,042.91	6,920.11
32	त्रिपुरा	4,998.54	4,206.31	5,149.70	4,185.24	4,518.05	3,010.20
33	उत्तर प्रदेश	124,665.62	12,736.34	42,730.00	18,346.25	171,102.14	5,026.42
34	उत्तराखंड	13,588.14	15,159.27	10,604.54	5,195.83	1,238.88	3,454.42
35	पश्चिम बंगाल	7,984.58	2,217.18	11,212.94	1,899.55	3,005.22	3,506.23
36	लद्दाख	3,125.00	470.95	2,691.15	1,215.87	2,334.65	1,349.92

टिप्पणीः

1. व्यय में केन्द्रीय जारी राशि, राज्य हिस्सा और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष शामिल है।
2. एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

दिनांक 02 अगस्त 2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतांरांकित प्रश्न संख्या 2068 के उत्तर के भाग (क) से (घ) का संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई केंद्रीय राशि

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	1.11	-
2	आंध्र प्रदेश	3.75	15.76	35.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.10	8.83
4	असम	57.90	2.26	91.45
5	बिहार	125.86	7.17	-
6	चंडीगढ़	-	4.79	10.38
7	छत्तीसगढ़	11.25	1.34	32.23
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	-	0.24	0.28
9	दिल्ली	-	-	-
10	गोवा	-	0.06	3.75
11	गुजरात	-	29.54	46.04
12	हरियाणा	11.06	1.31	17.67
13	हिमाचल प्रदेश	-	28.05	15.69
14	जम्मू और कश्मीर	16.11	1.00	44.01
15	झारखंड	44.70	183.04	102.27
16	कर्नाटक	11.25	37.10	100.57
17	केरल	3.75	24.89	-
18	लद्दाख	-	0.00	0.62

19	लक्षद्वीप	-	0.63	-
20	मध्य प्रदेश	22.85	98.70	228.52
21	महाराष्ट्र	17.45	4.07	31.76
22	मणिपुर	4.56	10.92	13.78
23	मेघालय	9.65	43.28	4.42
24	मिजोरम	0.28	1.52	4.52
25	नगालैंड	0.28	0.08	4.42
26	ओडिशा	32.15	211.46	174.89
27	पुदुचेरी	0.42	0.19	2.67
28	पंजाब	-	24.16	-
29	राजस्थान	45.37	83.59	173.06
30	सिक्किम	-	0.75	3.88
31	तमिलनाडु	17.45	150.42	279.36
32	तेलंगाना	11.25	53.88	95.21
33	त्रिपुरा	-	0.90	2.48
34	उत्तर प्रदेश	124.63	173.71	247.96
35	उत्तराखंड	1.56	32.31	-
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	30.91

नोट: उपर्युक्त जारी धन राशि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

*****